राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि. 30 अक्टूबर, .2019

जिला कलक्टर,

अलवर, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बूँदी, चूरू, जयपुर,
जालोर, जोधपुर, करौली, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, एवं टोंक।

विषय :– ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सडक निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 10.08.2016, 10.03.2017, 23.03.2017, 20.07.2017, 05.09.2017, 01.08.2019, 03.10.2019, 13.10.2019 एवं 21.10.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में पंचायत समितियों/जिला स्तर पर स्थापित गुणवत्ता प्रयोगशालाओं से ही गुणवत्ता परीक्षण/जाँच कराने तथा तदनानुसार उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन करने बाबत प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु यह पाया गया कि निजी प्रयोगशालाओ से भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा कर राशि का समायोजन किया जा रहा है। यह कार्यवाही विभागीय निर्देशो के विपरीत है। इस क्रम में निजी प्रयोगशालाओ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समायोजन किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं राशि समायोजन की सूचना विभागीय पत्र दिनांक 03.10.2019 एवं स्मरण पत्र 13.10.2019 व 21.10.2019 द्वारा चाही गयी, जो आदिनांक तक अप्राप्त है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. पंचायत समितियों/जिला स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में स्थापित गुंणवत्ता परीक्षण उपकरणों के मानक स्तर बाबत आवश्यक रखरखाव की यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। जिन प्रयोशालाओ में परीक्षण उपकरण /मशीन खराब है, को तत्काल दुरूस्त /ठीक करवाया जावे।
2. विभागीय गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना के उपरान्त, निजी प्रयोगशालाओं के परीक्षण के आधार पर समायोजित उपयोगिता प्रमाण पत्रो का चिन्हीकरण किया जावे और इस तरह के निर्माण कार्यो का आपके स्तर से गठित तकनीकी टीम द्वारा पुनः गुणवत्ता परीक्षण/जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करे।
3. निजी प्रयोगशालाओ से कराये गये परीक्षण/रिपोर्ट मान्य नहीं है। अतः निजी प्रयोगशालाओं के आधार पर जारी उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने व तदानुसार राशि समायोजित करने वाले कार्मिक/अधिकारीयों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
4. संबंधित अभियंता द्वारा कार्य की प्रगतिरत/पूर्ण होने पर मौके से फोटो सहित सेम्पल एकत्रित कर निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्ता परीक्षण कराकर ही उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)